न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 76/25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025/276

1. चेनराम पुत्र सीताराम डांगी निवासी विकरणी तहसील मावली जिला उदयपुर

.................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. पटवारी, पटवार हल्का विजनवास, तह० घासा, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री नरेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. राजपैरोकार नायब तहसीलदार मावली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131—133 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131—133 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा विकरणी, पटवार हल्का विजनवास, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 1483/142 रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज है।
2. यह कि उक्त वर्णित आराजी मुझ प्रार्थी की स्वतन्त्र खातेदारी की होकर मेरे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर निर्बाध रूप से चली आ रही है तथा मैने मेरी उक्त कृषि भूमि को विकसित कर उपजाऊ बनाने के लिये काफी लागत लगाई एवं परिवार सहित परिश्रम कर जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है तथा मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि पर सपरिवार शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूँ जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार नही हैं। मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि के पड़ौस पूर्व में आराजी नम्बर 1943/1857 की भूमि, पश्चिम में आराजी नम्बर 1485/142 व 1487/142, उत्तर में आराजी नम्बर 1548/142 एवं दक्षिण में आराजी नम्बर 1488/1349 व 1349 की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का मैं प्रार्थी खातेदार काश्तकार हूँ और इस भूमि पर मैने लाखों रूपयों का खर्चा कर भूमि को विकसित कर आवादान की है और निर्बाध रूप से इस कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा हूँ किन्तु अभी दिनांक 19–03–2025 को जब मुझ प्रार्थी ने मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि की सीमा जानकारी हेतु वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी प्राप्त कर पटवारीजी से इसके बारे में बातचीत की तो उन्होने बताया कि राजस्व नक्शा ट्रेस में मुझ प्रार्थी की खातेदारी की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजी मौके कब्जे अनुसार वर्तमान नक्शे में फीड नही है अर्थात मैं प्रार्थी जहां काबिज हूँ उस अनुसार नक्शे में मेरी भूमि तरमीम नहीं है जिससे मुझ प्रार्थी को मेरी उक्त आराजी नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर देने का ज्ञान हुआ। जबकि मौके की स्थिति अनुसार ही मुझ प्रार्थी की खातेदारी की आराजी को राजस्व नक्शे में पैमुद किया जाना चाहिए था। मुझ प्रार्थी को उक्त तथ्य के बारे में ज्ञान होने पर हमने इसके बारे में जानकारी कराई तो रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा गफलत पूर्वक मेरी भूमि को गलत जगह तरमीम करने का पता चला। इस तरह मेरी खातेदारी आराजी को रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा अकारण गलत जगह पैमुद कर राजस्व नक्शा ट्रेस में जानबुझकर अशुद्धि उत्पन्न कर दी गई हैं जिससे मुझ प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग करने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी अड़चन का सामना करना पड़ रहा है।
4. यह कि मुझ प्रार्थी को राजस्व नक्शा में मेरी आराजी गलत तरमीम होने की जानकारी दिनांक 19–05–2025 को राजस्व नक्शा ट्रेस व नकल जमाबन्दी प्राप्त कर सीमा जानकारी हेतु पटवारीजी से बातचीत करने पर हुई और जानकारी होते ही वांछित दस्तावेज प्राप्त करके यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है।
5. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजी नम्बर 1483/142 को मौके कब्जे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस में सही तरमीम/पैमुद कराये जाने का उचित आदेश फरमाया जावें।
6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विकरणी की वर्तमान जमाबन्दी सवंत् 2077–80 के खाता संख्या 358 में खसरा संख्या 1483/142 रकबा 0.8498 हेक्टेयर किस्म बा. तृतीय होकर खातेदार चेनराम पिता सीताराम डांगी सा. देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मूल खसरा नम्बर 142 बिलानाम गैर काबिल काश्त में से 5 बीघा 5 बिस्वा गैरखातेदारी के रूप में [illegible] पिता सीताराम डांगी सा. देह के नाम मूल आवंटन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी [illegible] जिला उदयपुर के द्वारा दिनांक 05.01.1983 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत हुआ था। कब्जा सुपुर्दगी सम्बन्धी पत्रावली कार्यालय पटवार हल्का विजनवास में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नक्शे में पटवारी शीट (लट्ठा शीट) में आराजी नम्बर 1483/142 की तरमीम नहीं है। वर्तमान फर्म से प्राप्त नक्शा शीट अर्थात् बटर शीट में तरमीम मौजूद है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा एवं फर्म से प्राप्त शीट में तरमीम में भिन्नता है। फर्म से प्राप्त शीट की एवं मौके पर कब्जे को अलग–अलग दर्शाते हुए नक्शा संलग्न है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, परिशिष्ट ए, बी, सी नक्शा ट्रेस, गुगल शीट, नकल जमाबंदी, आवंटन नामान्तरकरण संख्या 143 की प्रति प्रस्तुत की।

7. अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 358 पर दर्ज आराजी नम्बर 1483/142 रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर दर्ज है। तहसीलदार घासा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा नक्शा शीट अनुसार नही होकर भिन्न है। उक्त आराजी की तरमीम साबिक लट्ठा शीट पर मौजूद नही है। उक्त आराजी का साबिक मूल आराजी नम्बर 142 था। मूल साबिक आराजी नम्बर 142 से प्रार्थी को आवंटन की गई। आवंटन का नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियो द्वारा पारित कर इनके मौरूस के नाम दर्ज करते हुए बट्टा नम्बर अंकित कर दिया गया, परन्तु नक्शे में तरमीम नही की गई। इस प्रकार उक्त भूमि बिना तरमीम के ही नक्शे में चली आ रही थी। तहसीलदार द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि का नक्शा ट्रेस नामान्तरकरण फर्द पर नही है तथा ना ही उक्त आवंटन भूमि की तरमीम लट्ठा नक्शा शीट पर मौजूद है। परन्तु हाल नक्शा जो फर्म द्वारा तैयार कर दिया गया है उसमें तरमीम कर दी गई। नामान्तरकरण का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण के साथ तहसीलदार के कथनानुसार नक्शा ट्रेस तो संलग्न नही किया होगा परन्तु नामान्तरकरण की फर्द पर आवंटन भूमि की आकृति बना रखी है। जो फर्म द्वारा तैयार किये नक्शे में अंकित आकृति से भिन्न है। अर्थात फर्म द्वारा तैयार किये नक्शे एवं नामान्तरकरण पर अंकित आकृति का मिलान नही हो रहा है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त भूमि प्रार्थी को पृथक – पृथक आवंटन आराजी नम्बर 142 से हुई है। त[illegible] आवंटन का नामान्तरकरण पारित किया गया है। आवंटन का नामान्तरकरण पारित [illegible] के पश्चात बटा/विभाजन नम्बर अंकित करते हुए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज की गई। उसी समय साबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

लट्ठा नक्शा में उक्त भूमि की तरमीम करनी चाहिए थी, जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा नही की गई। यदि उक्त तरमीम सेहवन से रह गई थी, तो ऐसे में समक्ष अधिकारी के आदेश से प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के आधार पर तरमीम करनी चाहिए थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा ऐसा नही कर अपने मनमुताबिक उक्त भूमि की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम राजस्व कर्मचारियो द्वारा अपने मनमुताबिक कर देने से प्रार्थी के कब्जे एवं राजस्व नक्शे में मिलान नही हो रहा है। जिसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया जाकर कब्जे अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया है। न्यायालय का मानना है कि प्रार्थी को मूल साबिक आराजी नम्बर 142 में से आवंटन हुआ। आवंटन के पश्चात राजस्व कार्मिको द्वारा कब्जा सुपुर्दगी की गई। कब्जा सुपुर्दगी पश्चात काश्तकार को जिस भूमि का कब्जा दिया जाता उसी भूमि पर कृषि कार्य करता है। वर्तमान में प्रार्थी को आवंटन के पश्चात प्राप्त कब्जे जहां वह वर्तमान में मौके पर काबिज है एवं राजस्व नक्शे में भिन्नता है। न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रार्थी उसी मूल नम्बर में काबिज होने से राजहित प्रभावित नही हो रहा है। केवल मात्र राजस्व नक्शा एवं मौके पर भिन्नता होने के कारण पक्षकारो के मध्य विवाद बने रहते है। चूंकि प्रार्थी को नियमानुसार आवंटन नियमो के तहत भूमि आवंटित की गई है। आवंटन के पश्चात से ही भूमि पर प्रार्थी काबिज होने से खातेदारी अधिकार भी दिए गए है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत विजनवास के प्रशासक का पत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी अंकित किया गया है कि प्रार्थी वक्त आवंटन से जहां काबिज था वहीं काबिज हैं। वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे अनुसार तरमीम किये जाने की अनुशंषा तहसीलदार घासा द्वारा की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम विकरणी पटवार हल्का विजनवास तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 358 पर दर्ज आराजी नम्बर 1483/142 रकबा 0.8498 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested